न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 81/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्री थावरा पिता श्री हरदार भील निवासी बारी पटवारी हल्का बारी तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भेमा पिता हकरू भील निवासी बारी पटवार हल्का बारी तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री गवरा बेवा हकरू भील निवासी बारी पटवार हल्का बारी तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्रीमान तहसीलदार छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी छोटी सरवन राजस्व लोक अदालत ग्राम
पंचायत कैम्प बारी दिनांक 13–07–2016 प्रकरण
संख्या 27/2015 वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री शंकर लाल निनामा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2
3– राजकीय अधिवक्ता

————————————

निर्णय **दिनांक 14–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा–88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी के ग्राम बारी में स्थित सर्वे नंबर 133

रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर वादी काबिज होकर उसका पुश्तैनी मकान व पुश्तैनी कब्जा है। प्रतिवादीगण का इस आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है। पक्षकारान के मूल पुरूष दीता के 2 पुत्र हकरू व हरलाल थे, थावरा हरदार का लड़का है तथा हकरू के वारिसान प्रतिवादी संख्या–1 व 2 है। दीता की कृषि भूमि को वादी व वारिसान की बिना सहमति के मुआवजा व भूमि हस्तान्तरण व भूमि खुर्द–बुर्द करने को प्रतिवादी आमादा है। वादी उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है, तथा इस भूमि पर उसका प्रतिकूल कब्जा भी है। दीता के वारिसान के रूप में भी यह भूमि विभाजन से वादी के हिस्से में आई है। प्रतिवादी इस भूमि का अकेले मुआवजा प्राप्त करना चाहते है। जबकि प्रतिकूल कब्जा व विरासती आधार पर वादी खातेदार है। वादी को खातेदारी घोषणा की डिक्री दिलवाई जाय।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की और से अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट मंगाई, जिसमें वादी का कब्जा होना भी प्रकट आया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब से लम्बित था तथा आगामी दिनांक 21–7–2016 की तिथि 25–5–2016 को तय की गई। इसी दौरान दिनांक 13–7–2016 को प्रकरण को लोक अदालत में रखकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया गया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13–7–2016 से रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–10–2016 को पेश की गई। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश किये जोन के कारण मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नाटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री शंकरलाल निनामा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय आधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की।

वहीं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णिय व डिक्री पारित की है, जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। मौके पर अपीलान्ट का कब्जा था तथा भूमि पर उसका विरासती अधिकार का भी दावा था, पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन सब तथ्यों का विवेचन किये बिना, प्रतिवादी का जवाब लिए बिना व विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब दावे की स्टेज़ पर स्थित प्रकरण में बिना जवाबदावा लिए नियत तिथि से पृथक तिथि को पक्षकारों को सुने बिना, बिना विधिक प्रकिया का पालन किये निम्नानुसार अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित कर दिया :–

''पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 '' न्याय आपके द्वार'' कैम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बारी पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादी क वाद में वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि वादी ने न तो कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसमें कभी भी वादी, वादी के पूर्वजों की यह संपत्ति रही हो। केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देना न्याय संगत नहीं है। उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार छोटी सरवन की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात भूमि का न तो खातेदार है एवं नहीं उक्त भूमि के समर्थन में कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये की उक्त भूमि उसकी हो। अतः उक्त भूमि पर वादी का कोई हक, हिस्सा एवं कब्जा निहित नहीं है''।

यह निर्णय अत्यन्त सरसरी व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर व सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है, कि भूमि विरासती है अथवा नहीं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होकर तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से दूषित है तथा प्राकृतिक न्याय के भी विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–7–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में 15–1–2018 उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... .**उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री मांगूलाल पिता श्री नानजी भील निवासी बोरखाबर तहसील व जिला बांसवाड़ा अन्य–1	बनाम	**श्री देवा पिता श्री रामा भील निवासी नांदरामाल तहसील बांसवाड़ा अन्य–5 व सरकार**

अपील नं0 **18/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी**. ..... **घाटोल** ..... मुकाम मुक्र्खे.....**13**..... माह .....**03**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... **27**..... माह .....**06**..... सन् **2017** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी बवक्त बहस ....**श्री आर. के. जैन** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–03–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**..... माह ...**07**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0

1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।